रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2014/चैत्र 14, 1936
No. 199] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2014/CHAITRA 14, 1936

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2014

सा.का.नि. 269(अ).–केंद्रीय सरकार, सरकारी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 01.01.2011 से प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2000 के नियम 3 में "3.00 लाख रुपए प्रतिमास और 2.50 लाख रुपए प्रतिमास" अंकों और शब्दों के स्थान पर "3.75 लाख रुपए (तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए) प्रतिमास और 3,12,500 रुपए (तीन लाख बारह हजार पांच सौ रुपए) प्रतिमास" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. आर-16012/2/2008 बीमा-III]

एन. श्रीनिवासन राव, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन

चूंकि केंद्रीय सरकार ने व्यय विभाग के का.ज्ञा.सं. 8.1/1/2008-आईसी, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 के द्वारा 01.01.2011 से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों के संशोधित समेकित वेतन पैकेज को अनुमोदन प्रदान कर दिया था, अत: उपर्युक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगें

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के भूतपूर्व या मौजूदा अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के प्रतिकूलत: प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

पाद टिप्पण:- मूल नियम सा. का. नि. 841(अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2000 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. 827(अ) तारीख 01.12.2008, सा. का. नि. 307(अ), दिनांक 19 अप्रैल, 2012 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

Notification

New Delhi, the 4th April, 2014

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowance payable to and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2014.

(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2011.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2000, in rule 3, for the letters, figures and words "Rs.3.00 lakh per month and Rs.2.50 lakh per month", the letters, figures and words "Rs.3,75,000 (Rupees three lakh seventy five thousand only) per month and Rs.3,12,500 (Rupees three lakh twelve thousand five hundred only) per month" shall be substituted.

[F. No. R-16012/2/2008-Ins. III]

N. SRINIVASA RAO, Director

EXPLANATORY MEMORANDUM

The above amendment to the Rules is given retrospective effect, as the Central Government had accorded approval to the revised consolidated pay package of Chairperson and Members of Insurance Regulatory and Development Authority with effect from 01.01.2011 *vide* Department of Expenditure's O. M. No. 8.1/1/2008-IC dated 15th September 2011.

2. It is certified that no Chairperson or whole-time Member, past or present, of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given with retrospective effect.

Foot Note:-The Principal rules were published vide notifications No. G.S.R. 841 (E) dated 25th October, 2000 and subsequently amended by G.S.R. No. 827 (E) dated 01.12.2008, GSR 307(E) dated 19th April 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.